## भाखडा वाटर सर्विसज सर्कल, सिरसा

शिक्षुक अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित शिक्षुओं का चयन किया जाना है। चयनित शिक्षुओं को प्रक्षिण अविध एंव प्रशिक्षण भत्ता शिक्षुक अधिनियम 1961 के अनुसार देय होगा। शिक्षुओं का विवरण ट्रैडवाईज निम्न प्रकार से है:-

Sr. No.	Trade	Vacancy
1	Draftsman (Civil)	9
2	Stenographer (Hindi)	8
3	Stenographer (English)	8
4	COPA	11
5	Plumber	2
6	Carpenter	2
7	Electrician	2

इच्छुक उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन व आवेदन ऑनलाईन वैबसाईट (www. apprenticeshipindia.gov.in) पर दिनांक 04.04.2025 से 30.04.2025 को सायः 5 बजे तक कर सकते है। आवेदन के समय उम्मीदवार अपना फोटो, आधार कार्ड, आई.डी. (केवल वोटर कार्ड, डी.एल., पासपोर्ट), मैट्रिक प्रमाण पत्र व आई.टी.आई. विभाग हरियाणा द्वारा जारी आई.टी.आई. पास का मूल प्रमाण पत्र (with marks) ही अपलोड करें। कृप्या अपनी शिक्षुता प्रोफाईल को 100 प्रतिशत पूर्ण करें, अन्यथा इस के लिए आप खय जिम्मेदार होगे। जिस उम्मीदवार द्वारा दिनांक 30.04.2025 के बाद ऑनलाईन आवेदन किया है, वे आवेदन खीकार नहीं होंगे। उम्मीदवार को कार्यालय में कोई हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक हरियाणा / चण्डीगढ़ (U.T.) का स्थायी निवासी हो अथवा दसवी कक्षा हरियाणा राज्य से उतीर्ण हो। सफल शिक्षुओ का चयन (आई.टी. आई.) मार्कशीट अंको के अनुसार केवल मैरिट आधार पर ही किया जाएगा। अवदेको को सलाह दी जाती है कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में खंय की ई-मेल आईडी, अपना मोबाईल न0 व आधार न0 सही दर्ज करे। उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित करले कि उस द्वारा पूर्व में किसी भी व्यवसाय (ट्रेड) मे शिक्षुता ग्रहण नहीं की हो। यदि वह ऐसा किया पाया जाता है तो यह दंडनीय अपराध है।

> नोडल ऑफिसर (Apprentices) भाखडा वाटर सर्विसज सर्कल, सिरसा

1069/11/97/2026/33744/10/6